

लोक प्राधिकारी द्वारा तत्कालिक प्रकटन

(Proactive disclosure by Public Authority)

# सूचना अधिकार अधिनियम

## 2005

के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये  
17 मैनुअल

(धारा 4 के अनुपालन में)

मैनुअल संख्या 1 से 17

नवीनतम विवरण मार्च 2023

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
बेरीनाग

(पिथौरागढ़), उत्तराखण्ड

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग (पिथौरागढ़)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअल

## मैनुअल 1

### संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

1. संस्था की संदृष्टि(Vision of the Institution):- एक आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापना

#### संदृष्टि VISION

To transform the college into a centre of excellence of higher education known for a distinctive organizational culture and outcome oriented effective governance through best and innovative practices in teaching - learning , research , incubation and entrepreneurship , training and extension in diversified areas of higher education applying appropriate use of physical, academic and ICT resources that can create a conducive environment to the teachers, staff and learners in realizing their full potential, develop skills and capabilities and their utilisation in contributing to national development with accountability, professional ethics, social responsibilities and human values.

“महाविद्यालय को उच्च शिक्षा के विविधीकृत क्षेत्रों में भौतिक, षैक्षणिक एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुये अध्ययन-अध्यापन, शोध, संवर्द्धन एवं उद्यमिता, प्रशिक्षण एवं प्रसार आदि में उत्तम एवं नवाचारी व्यवहारों के द्वारा, विषिष्ट संगठनात्मक संस्कृति एवं परिणामोन्मुख प्रभावशाली सुषासन की छवि वाले उच्च शिक्षा के ऐसे गुणवत्तापूर्ण केन्द्र में रूपान्तरित करना, जो शिक्षकों , कार्मिकों एवं शिक्षार्थियों को उनकी पूर्ण क्षमता को पहचानने, कौशल एवं दक्षताएँ विकसित करने तथा जबाबदेही, पेशेवर नैतिक-आचरण , सामाजिक उत्तरदायित्वों एवं जीवन मूल्यों के साथ राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए उनका पूर्ण उपयोग करने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा सके।”

2. संस्था का लक्ष्य (Mission of the Institution)

महाविद्यालय द्वारा आगामी वर्षों हेतु निर्धारित लक्ष्य (Goal): गुणात्मक उच्च शिक्षा हेतु सूचना एवं तकनीकी संसाधनों के माध्यम से अवसरो को उपलब्ध कराना ।

- नवीन विषयों- स्नातकोत्तर अंग्रेजी, गणित, संस्कृत तथा स्नातक स्तर पर बी0कॉम0, शिक्षाशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान को प्रारम्भ कराना ।

संस्था की विशिष्टियाँ :-सन् जुलाई, 1975 में इस कृषि बहुल क्षेत्र पिथौरागढ़ के तहसील क्षेत्र बेरीनाग में शासनादेश

द्वारा राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। वर्तमान में महाविद्यालय में कुल सृजित पदों के सापेक्ष 01 प्राचार्य, 20 नियमित प्रवक्ता, 04 गेस्ट फैकल्टी, 06 कामचलाऊव्यवस्था के तहत 16 शिक्षणोत्तर कर्मचारी तथा 02 आउटसोर्सिंग (उपनल) से कार्यरत हैं। बी0एड0 विभाग में संविदान्तर्गत 02 प्राध्यापक, 01 प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, 01 अतिथि प्राध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष, 01 कार्यालय लिपिक, 01 स्टोर लिपिक 01 एवं 01 अनुसेवक कार्यरत है। स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, संगीत, गणित तथा विज्ञान संकाय भौतिक, रसायन, गणित, जन्तु वनस्पति विज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर कला संकाय में हिन्दी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास एवं विज्ञान संकाय में भौतिक, जन्तु, वनस्पति, रसायन विषयों में अध्यापन किया जाता है, साथ ही महाविद्यालय में मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र व एडुसेड भी संचालित है। स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत कुल छात्र संख्या 1348 है, बी0एड0 में छात्रों की संख्या 110 है। महाविद्यालय पुस्तकालय में 34080, बी0एड0 पुस्तकालय में 4980 पुस्तकें तथा सन्दर्भ ग्रन्थों एवं बुक बैंक की संख्या 1818 हैं। महाविद्यालय के वाचनालय में अमर उजाला, हिन्दुस्तान, अतुल गंगावली, पिघलता हिमालय व प्यारा उत्तराखण्ड दैनिक समाचार पत्र आता है।

### महाविद्यालय से सम्बन्धित सूचनायें

1. महाविद्यालय का नाम एवं पत्राचार का पता – राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग (पिथौरागढ़)
2. (1) स्थापना का दिनांक – जुलाई 1975  
(2) प्रथम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने का वर्ष – जुलाई 1975
3. राजाज्ञा सं० एवं दिनांक – 2369 दिनांक 18-6-75
4. दूरभाष सं० (कोड सहित) – कार्यालय – (Office –Land line) – 05964-244641  
कार्यालय प्रभारी ( नाम एवं मोबाइल नं०) – श्री नवीन चन्द्र पन्त 9456397380

प्राचार्य आवास – (Residence –Land line)

प्राचार्य मो० – 9568627442

फैक्स सं० – 05964-244641

5. ई-मेल आई डी –  
–pgcollegeberinag@gmail.com

महाविद्यालय

प्राचार्य –sunthasd@gmail.com

6. वैब साइट एड्रेस –www.pgcbereinag.org

7. (1) निदेशालय से महाविद्यालय की दूरी – 190 किलो मी0

(2) मार्ग के अर्न्तगत पड़ने वाले मुख्य स्टेशन/स्थान – राई आगर, सेराघाट अल्मोड़ा, भवाली, हल्द्वानी

8. महाविद्यालय से सड़क की दूरी – 01 किलो मी0

(1) महाविद्यालय किस राष्ट्रीय राजमार्ग ( National Highway) अथवा राज्यमार्ग (State Highway) पर स्थित है। –राजमार्ग

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग ( National Highway) अथवा राज्यमार्ग ( State High way)

से महाविद्यालय की दूरी – 01 किलो मी0

9. महाविद्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन – नाम : काठगोदाम दूरी : 185 किमी0

10. विकास खण्ड का नाम– बेरीनाग विकास खण्ड से दूरी – 03 किलो मी0

11. तहसील का नाम– बेरीनाग तहसील से दूरी – 01 किलो मी0

12. जिला का नाम– पिथौरागढ़ मुख्यालय से दूरी – 90 किलो मी0

13. विधान सभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम – गंगोलीहाट

14. समुद्र तल से ऊँचाई (1) मीटर में – 1800

(1 मीटर = 3.281 फीट ) (2) फीट में – 5600

महाविद्यालय में सृजित शिक्षणेत्र कर्मचारियों की सूचना एवं शासनादेश

क्र० सं०	पदों का विवरण	सृजित पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	शासनादेश संख्या जिससे पद सृजित हुए
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	0	01	शा०सं० 2369/2-9-5(11) दिनांक 28.02.1975
2	मुख्य प्रशा० अधिकारी	01	01	0	शा०सं० 2369/2-9-5(11) दिनांक 28.02.1975
3	प्रशासनिक अधिकारी	01	0	01	शा०सं० 2369/2-9-5(11) दिनांक 28.02.1975
4	वरिष्ठ सहायक	01	01	0	शा०सं० 2369/2-9-5(11) दिनांक 28.02.1975
5	आशुलिपिक	01	01	0	शा०सं० 2369/2-9-5(11) दिनांक 28.02.1975
6	प्रयो० परिचर जन्तु	02	0	02	शा०सं० 5025/6-28-2-76दि० 4.01.1978(01) शा०सं० 46/2003-3(81)2002 दि० 13.08.2003(01)
7	प्रयो०परिचर बनस्पति	02	01	01	शा०सं० 5025/6-28-2-76दि० 4.01.1978(01) शा०सं० 46/2003-3(81)2002 दि० 13.08.2003(01)
8	प्रयो० परिचर रसायन	02	01	01	शा०सं० 5025/6-28-2-76दि० 4.01.1978(01) शा०सं० 46/2003-3(81)2002 दि० 13.08.2003(01)
9	प्रयो० परिचर भौतिकी	02	0	02	शा०सं० 5025/6-28-2-76दि० 4.01.1978(01) शा०सं० 46/2003-3(81)2002 दि० 13.08.2003(01)
10	प्रयो०परिचर भूगोल	02	01	01	शा०सं० 657(1)/6/28-2-76 दि०24.02.1976(1) शा०सं०2292/28-2-89-5(103)दि०28.08.1989(01)
11	प्रयो०परिचर संगीत	01	0	01	शा०सं०247/28-12-89-5(52)88 दि० 11.12.1989(01)
12	दफ्तरी	01	0	01	शा०सं०2369/2-9-5(11)दि० 28.02.1975(01)
13	अर्दली	01	0	01	शा०सं०2369/2-9-5(11)दि० 28.02.1975(01)
14	चपरासी	01	01	0	शा०सं०2369/2-9-5(11)दि० 28.02.1975(01)
15	माली	01	0	01	शा०सं० 5614/5(45)/28.02.78 दि० 28.02.1979
16	गैसमेन	01	0	01	शा०सं० 5614/5(45)/28.02.78 दि० 28.02.1979
17	एनीमल कैचर	01	01	0	शा०सं० 5614/5(45)/28.02.78 दि० 28.02.1979

18	बुक बाइण्डर	01	0	01	शा0सं02292 / 28-2-89-5(103)दि028.08.1989
19	स्वच्छक / चौकीदार	01	01	0	शा0सं0 2369 / 2-9-5(11)दि0 28.02.1975
20	प्रयो0सहा0 जन्तु	02	02	0	शा0सं0 5025 / 6-28-2-76दि0 4.01.1978(01) शा0सं0 46 / 2003-3(81)2002 दि0 13.08.2003(01)
21	प्रयो0 सहा0वनस्पति	02	02	0	शा0सं0 5025 / 6-28-2-76दि0 4.01.1978(01) शा0सं0 46 / 2003-3(81)2002 दि0 13.08.2003(01)
22	प्रयो0सहा0रसायन	02	02	0	शा0सं0 5025 / 6-28-2-76दि0 4.01.1978(01) शा0सं0 46 / 2003-3(81)2002 दि0 13.08.2003(01)
23	प्रयो0सहा0भौतिकी	02	02	0	शा0सं0 5025 / 6-28-2-76दि0 4.01.1978(01) शा0सं0 46 / 2003-3(81)2002 दि0 13.08.2003(01)
24	तबलावादक	01	01	0	शा0सं0247 / 28-12-89-5(52)88 दि0 11.12.1989
25	इलैक्ट्रीशियन	01	01	0	शा0सं02292 / 28-2-89-5(103)दि028.08.1989
	योग	34	17	17	

15. स्थापना के समय स्वीकृत शिक्षणोत्तर पदों के नाम एवं संख्या -

क्र0 सं0	सृजित पदनाम एवं पदों की सं0	स्थायी / अस्थायी	राजाज्ञा सं0 एवं दिनांक जिससे पद सृजित हुआ	राजाज्ञा सं0 एवं दिनांक जिससे पद स्थायी हुआ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	प्राचार्य, प्रवक्ता हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, कार्यालय अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, आशुलिपिक, क0लि0-02, दफ्तरी, चपरासी, अर्दली	स्थायी	शा0सं0 2369 / 2-9-5(11) दिनांक 28.02.1975	2369 / 2-9-5(11) दिनांक 28. 02.1975	

16. वर्तमान स्थिति 31.03.2023 की स्थितिनुसार स्वीकृत पद एवं विषय –

महाविद्यालय में सृजित प्राध्यापकों की सूचना एवं शासनादेश

क्र०सं०	पदों का विवरण	सृजित पद	स्थायी /अस्थायी	शासनादेश संख्या जिससे पद सृजित हुए
1	प्राचार्य प्रवक्ता हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत,भूगोल,अर्थशास्त्र ,इतिहास,	01  06	स्थायी	शा०सं० 2369/2-9-5(11) दिनांक 18.06.1975
2	प्रवक्ता-भौतिक,रसायन,वनस्पति ,जन्तु,गणित शा०शा०,समाजशास्त्र	07	स्थायी	शा०सं० 5025/6-28-2-76 दिनांक 01.01.1978
3	प्रवक्ता-हिन्दी,अंग्रेजी	02	स्थायी	शा०सं० 8262/6/28-2-76 दिनांक 15.02.1978
4	प्रवक्ता-संगीत	01	स्थायी	शा०सं०0247/28-12-89-5(52)88 दि० 11.12.1989
5	प्रवक्ता-गणित,रसायन,जन्तु,वनस्पति, भौतिक,भूगोल	06	स्थायी	शा०सं०02292/28-2-89-5(103)दि०28.08.1989
6	प्रवक्ता-समाजशास्त्र,अर्थशास्त्र	02	स्थायी	शा०सं० 1550/28-2-93-5(66)/89 दि० 21.12.1993
7	प्रवक्ता-जन्तु,रसायन,भौतिक, वनस्पति	04	स्थायी	शा०सं० 46/2003-3(81)2002 दि० 13.08.2003
8	प्रवक्ता-हिन्दी, इतिहास	02	स्थायी	शा०सं० 195/xxiv (7)/2006दि० 22.03.2006
9	प्रवक्ता-राजनीतिशास्त्र,समाजशास्त्र	02	स्थायी	शा०सं०0487/ xxiv-सी-2/2021/20(06)/2020 दि० 06.08.2021
	योग-	33		

17. विषय जिनमें स्थाई सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है -

(राजाज्ञा संख्या का उल्लेखकरें)

स्नातक स्तर- 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत 4. इतिहास 5. अर्थशास्त्र 6. भूगोल 7  
शासनादेश संख्या- ई 2404/जी0एस0/दिनांक 18-5-82 द्वारा 1-7-87 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त

. रा0 शास्त्र, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, . भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, संगीत में  
शासनादेश संख्या - 409/(11)/सम्बद्धता /2004 दिनांक 26 मई,2004 द्वारा 1.7.2004 से स्थायी  
सम्बद्धता है।

स्नातकोत्तर स्तर - 1. अर्थशास्त्र ,समाजशास्त्र शासनादेश संख्या - 409/(11)/सम्बद्धता /2004  
दिनांक 26 मई,2004 द्वारा 1.7.2004 से स्थायी सम्बद्धता है।

18. विषय जिनमें अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई है ।

स्नातक स्तर-

स्नातकोत्तर स्तर -जन्तु,भौतिक,वनस्पति एवं रसायन विज्ञान शा0सं0 46/उ0शि0/2003 दिनांक 13.8.  
2003

हिन्दी, इतिहास शा0सं0 195/xxiv/(7)/06दि0 22 मार्च,2006

19. (1) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की सूचना (राजाज्ञा संख्या, सम्बद्धता अवधि सहित) - वर्ष  
2008-09 से बी0एड0 संचालित 1236/xxiv (7)/51 (3) /2009 दिनांक 19 नवम्बर 2009

(2) नियामक संस्था का नाम एवं अनुमति पत्र संख्या एवं दिनांक - एन0सी0टी0ई0 185/  
xxiv (7)/2008 25 जुलाई 2008 तथा F.NRC/NCTE/UR-152/2015 13-4-2015

20. महाविद्यालय की भूमि -भवन से सम्बन्धित सूचनायें :- 31.03.2023 की स्थितिनुसार)

(1) महाविद्यालय के पास अपनी भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं :-हाँ

(2) यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो भूमि अधिप्राप्ति हेतु महाविद्यालय स्तर पर

अद्यतन की गयी कार्यवाही की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख करें (31.03.2023 की स्थितिनुसार)  
यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्यों ? -

(3) यदि भूमि उपलब्ध है तो माप - 13.5 एकड़

(क) हेक्टेअर में - 5.46326



(ख)वर्ग मीटर में – 54632.5617

( 01हेक्टेअर = 10,000 वर्ग मीटर )

(4) महाविद्यालय की शिक्षणेत्तर गतिविधियों हेतु स्थान उपलब्ध है (हाँ/नहीं) –हाँ क्रीड़ा मैदान उपलब्ध

(5) महाविद्यालय में क्रीडा गतिविधियों हेतु निम्न विवरण अंकित करें:-

(क) उपलब्ध Indoor Games की व्यवस्था- नहीं

(ख) उपलब्ध Outdoor Games की व्यवस्था- हाँ क्रीड़ा मैदान

(ग) क्रीडा गतिविधियों हेतु महाविद्यालय के पास उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था – उपरोक्त

(7)महाविद्यालय की वर्तमान में चल रही निर्माण योजनाओं संबंधी सूचना (लघु , वृहद, अस्थायी आदि)

-

क्रं स 0	प्रस्तावित/ स्वीकृत निर्माण कार्यों का विवरण	कक्षों की संख्या	कक्षों का आकार	निर्माण प्रस्ताव लागत	स्वीकृ त लागत	कार्यदायी संस्था का नाम	अवमुक् त धनराशि	निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति	भवन हस्तान्तरण की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	शून्य								

निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राचार्य की अभ्युक्ति (यदि कोई हो)- समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला छात्रावास महावि0 को विभिन्न अपूर्णताओं के साथ हस्तान्तरित

21. कम्प्यूटर की सूचना- ( प्रोजेक्ट "शिखर" के अतिरिक्त)

क्रंस0	उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टमों की संख्या	क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या	निष्प्रयोज्य कम्प्यूटरों की संख्या	अभ्युक्ति
1	39	28	11	
02	बी0एड0- 04	04	-	-

कम्प्यूटर से सम्बन्धित उपकरणों की सूचना।

क्रं०	उपकरण का नाम	उपकरण की संख्या	क्रियाशील	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रिन्टर	14 बी०एड० सहित	12	—
2	फोटो कापियर	02	01	—
3	मौडम	01	01	—
4	प्रोजेक्टर	08	08	

22. प्रोजेक्ट "शिखर" से सम्बन्धित सूचनायें— शून्य

- (क) कोर्स संचालित करने वाली संस्था का नाम— वर्तमान में संचालित नहीं है।
- (ख) क्या कम्प्यूटर शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं — नहीं
- (ग) उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या — शून्य
- (घ) उपलब्ध अन्य उपकरण — शून्य
- (ङ) विगत पाँच वर्षों में वर्षवार प्रवेशित छात्र-छात्राओं की संख्या (संस्थागत) — शून्य
- (च) विगत 3 वर्षों में वर्षवार सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त छात्र/छात्राओं की संख्या —
- वर्ष 2020-21 -219 छात्र/छात्रायें
- वर्ष 2021-22 - 260 छात्र/छात्रायें

वर्ष 2022-23 - 295 छात्र/छात्रायें

(छ) कम्प्यूटरों/उपकरणों के रख-रखाव, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, विद्युत व्यय, इण्टरनेट आदि -  
पर व्यय किसके द्वारा वहन किये जा रहे हैं। (विगत 05 वर्षों की सूचना) - छात्रों से ली  
जाने वाले तत्संबंधी शुल्क से ।

(ज) प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में प्राचार्य की आख्या - प्रोजेक्ट शिखर वर्तमान में संचालित नहीं है  
एवं सेवा प्रदाता द्वारा उपकरण वापस ले लिये गये हैं।

23 (1) महाविद्यालय में पेयजल की व्यवस्था : (है अथवा नहीं ) - है

(2) महाविद्यालय में पानी के संग्रहण (storage) की व्यवस्था का उल्लेख करें - सिनटेक्स  
टंकी उपलब्ध

(3) महाविद्यालय में शुद्ध पेयजल हेतु Water Purifier की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं -  
है

24 (1) महाविद्यालय में प्रसाधन की व्यवस्था का उल्लेख करें - है छात्र/छात्रा एवं स्टाफ हेतु  
पृथक-2 प्रसाधन उपलब्ध है।

(2) महाविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी/अधिकारी हेतु  
पृथक से प्रसाधन सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं : है

25. (1) पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या: 34080  
बी0एड0 पुस्तकालय - 4980  
जनरल- 09

(2) पुस्तकालय में उपलब्ध संदर्भ ग्रंथों एवं बुक बैंक की संख्या: 1818

(3) महाविद्यालय में नियमित रूप से मंगाये जा रहे

समाचार पत्र/पत्रिकाओं/जरनल/अन्य प्रकाशन के नाम: अमर उजाला, हिन्दुस्तान,  
टाइम मैगजीन, डाउन टू अर्थ

(4) महाविद्यालय में वाचनालय की व्यवस्था है अथवा नहीं : है

(5) वाचनालय में नियमित रूप से उपलब्ध पत्र पत्रिकाओं के नाम : डाउन टू अर्थ, विज्ञान प्रगति, साइंस रिपोर्टर, कुरुक्षेत्र, यूनिवर्सिटी न्यूज, योजना।

(6) पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण की स्थिति (है अथवा नहीं) : है

26. शासनादेश संख्या .166/XXIV(6)/2010 दिनांक 06 मई, 2010, जिसके द्वारा धूम्रपान प्रतिबन्धित किया गया है, के अनुपालन की स्थिति : सूचनापट में तद्विषयक सूचना अंकित है एवं शिकायत हेतु डॉ० एम० एस० कुटियाल असि० प्रोफेसर इतिहास नामित हैं।  
नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम : डॉ० एम० एस० कुटियाल असि० प्रोफेसर इतिहास  
मोबाइल नं० : 9411556261

27. रैगिंग हेतु गठित एन्टी रैगिंग प्रकोष्ठ के गठन की सूचना : एन्टी रैगिंग प्रकोष्ठ में महाविद्यालय में कार्यरत तीनों शिक्षक डॉ० प्रकाश चन्द्र मठपाल, डॉ० पार्वती एवं श्री महिपाल सिंह कुटियाल तथा चतुर्थ श्रेणी महिला कार्मिक श्रीमती मानकी देवी को रखा गया है।  
नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम : डॉ० प्रकाश चन्द्र मठपाल असि० प्रोफेसर गणित  
मोबाइल नं० : 9557819315

28. महिला उत्पीडन सेल के गठन की स्थिति : डॉ० पार्वती, डॉ० धीरज खाती,, डॉ० बीना लोहिया, डॉ० दीपा पन्त,  
नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम : डॉ० पार्वती असि० प्रोफेसर हिन्दी  
मोबाइल नं० : 9756580784

29. महाविद्यालय की 2 एफ अथवा 12 बी की स्थिति :

(क) महाविद्यालय 2 एफ से आच्छादित है : दिनांक: वर्ष 1989

(ख) महाविद्यालय 12 बी से आच्छादित है :

दिनांक: वर्ष 1989

30. नैक प्रकोष्ठ का विवरण—

(1) प्रभारी व सदस्यों के नाम — डॉ० धीरज सिंह खाती

(2) क्या नैक से प्रत्यायनित है? — हाँ

यदि हाँ तो cycle I/II प्रथमवार प्रत्यायनित— वर्ष 2004— बी +

द्वितीयवार प्रत्यायनित — वर्ष 2018—19 द्वितीय चक्र — बी

प्रत्यायन अवधि — मार्च 2019 से मार्च, 2024

(3) महाविद्यालय को प्राप्त ग्रेड — बी

(4) क्या प्रत्यायन/पुनः प्रत्यायन की प्रक्रिया गतिमान है? — पुनः प्रत्यायन किया जा चुका है।

(5) क्या LOI प्रेषित किया है? — लागू नहीं

(6) LOI स्वीकृति की तिथि— लागू नहीं। वर्तमान में AQAR तैयार किया जा रहा है। हाँ

(7) E Mail Track ID का नाम—NA

(8) SSR प्रेषित करने की तिथि— लागू नहीं

(9) SSR छः माह में प्रेषित करने की अंतिम तिथि— लागू नहीं

(10) क्या IQAC स्थापित है— यदि हाँ तो कब? — हाँ वर्ष 2012

(11) चालू वर्ष में IQAC की बैठकों की संख्या—04

(12) क्या चालू वर्ष हेतु IQAR प्रेषित किया गया है— हाँ

यदि हाँ तो कब? —

31 सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2022—23 में—

(क) पर्जीकृत अनुरोधों की संख्या— : शून्य

(ख) निस्तारित अनुरोधों की संख्या— : शून्य

(ग) लम्बित प्रकरणों की संख्या— : कोई नहीं

(घ) मैनुअलों को तैयार किये जाने की अद्यतन स्थिति— : पूर्व वर्षों में तैयार मैनुअल को अपडेट किया जा रहा है।

32 महाविद्यालय में प्लेसमेंट सैल की स्थिति : सैल गठित है :

डॉ० मीनाक्षी गोस्वामी , डा० ललित चन्द, डा० अंकिता जोशी

2) प्लेसमेंट सैल से विगत वर्ष लाभार्थी छात्रों की संख्या : शून्य

(3) प्लेसमेंट सैल के संबंध में प्राचार्य की आख्या : कैरियर काउन्सिलिंग, मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट सैल गठित है जिसकी समय-2 पर मीटिंग आयोजित कर विद्यार्थियों को तत्सम्बन्धी सलाह/सूचना दी जाती है। साथ ही वाह्य परामर्श दाताओं को आमन्त्रित भी किया जाता है ।

33 महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्रों की स्थिति :

(1) अग्निशमन यंत्र लगाये गये हैं : हैं

(2) अग्निशमन यंत्रों की संख्या : 01

(3) स्थान : कार्यालय

34 (1) महाविद्यालय में फिप (FIP) की स्थिति : सूचना शून्य

(2) फिप (FIP) से लाभान्वित होने वाले प्राध्यापकों की संख्या : शून्य

35 महाविद्यालय में एडुसेट (Edusat) स्थापित है अथवा नहीं : है

यदि हैं तो वर्तमान में क्रियाशील है अथवा नहीं : क्रियाशील

एडुसेट (Edusat) के प्रभारी का नाम, पदनाम व मोबा० नं० : श्री अश्वनी कुमार प्रवक्ता  
वनस्पति

विज्ञान, 9627680596

एडुसेट (Edusat) से सम्बन्धित उपकरणों की स्थिति : चालू है

36 महाविद्यालय में छात्रावास की स्थिति : महिला छात्रावास उपलब्ध है।

छात्रावास/महिला छात्रावास की स्थिति

क्र०सं०	छात्रावास (पुरुष/महिला)	कक्षाओं की उपलब्धता	कितने छात्र/छात्राओं हेतु उपलब्ध है	छात्रावास प्रभारी का नाम
	महिला छात्रावास निर्मित है जो महाविद्यालय को	25	अद्यतन कोई भी छात्रा उपलब्ध नहीं	डॉ० जे०एन० पन्त,

	हस्तान्तरित किया गया है।		है।	वनस्पति विज्ञान
--	--------------------------	--	-----	-----------------

37. महाविद्यालय में छात्र कुर्सी एवं मेज की संख्या : 1591

38. AISHE की सूचना :

नोडल अधिकारी का नाम : डॉ० जे०एन० पंत

पदनाम : प्रवक्ता वनस्पति

मोबाईल नं० : 9411347657

E-Mail ID : pantjn@gmail.com

39. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सूचना :

प्रभारी का नाम : डॉ० एम० एस० कुटियाल

सदस्यों के नाम : डॉ० जे०एन० पन्त, डॉ० पार्वती, डॉ० बीना लोहिया, डॉ० दीपा पाठक

40. महाविद्यालय में आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थिति :

प्रभारी का नाम : श्री नवीन चन्द्र पन्त

पदनाम: वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

मोबाईल नं०:9456397380

41. बिन्दु संख्या 41 महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों (संविदा सहित) के नाम से कोई Patent /Copyright है तो उसका विवरण- नहीं।

## संदृष्टि VISION

To transform the college into a centre of excellence of higher education known for a distinctive organizational culture and outcome oriented effective governance through best and innovative practices in teaching - learning , research , incubation and entrepreneurship , training and extension in diversified areas of higher education applying appropriate use of physical, academic and ICT resources that can create a conducive environment to the teachers, staff and learners in realizing their full potential, develop skills and capabilities and

their utilisation in contributing to national development with accountability, professional ethics, social responsibilities and human values.

“महाविद्यालय को उच्च शिक्षा के विविधीकृत क्षेत्रों में भौतिक, षैक्षणिक एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुये अध्ययन-अध्यापन, शोध, संवर्द्धन एवं उद्यमिता, प्रशिक्षण एवं प्रसार आदि में उत्तम एवं नवाचारी व्यवहारों के द्वारा, विषिष्ट संगठनात्मक संस्कृति एवं परिणामोन्मुख प्रभावशाली सुशासन की छवि वाले उच्च शिक्षा के ऐसे गुणवत्तापूर्ण केन्द्र में रूपान्तरित करना, जो षिक्षकों, कार्मिकों एवं षिक्षार्थियों को उनकी पूर्ण क्षमता को पहचानने, कौषल एवं दक्षताएँ विकसित करने तथा जबाबदेही, पेशेवर नैतिक-आचरण, सामाजिक उत्तरदायित्वों एवं जीवन मूल्यों के साथ राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए उनका पूर्ण उपयोग करने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा सके।”

## 2. महाविद्यालय द्वारा आगामी वर्षों हेतु निर्धारित लक्ष्य (Goal):

- गुणात्मक उच्च शिक्षा हेतु सूचना एवं तकनीकी संसाधनों के माध्यम से अवसरो को उपलब्ध कराना ।
- नवीन विषयों- स्नातकोत्तर अंग्रेजी, गणित, संस्कृत तथा स्नातक स्तर पर बी०कॉ०, शिक्षाशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान को प्रारम्भ कराना ।
- महाविद्यालय में पी०जी० ब्लाक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है ।
- एन०सी०सी० की पुर्नस्थापना ।
- महाविद्यालय में ई-लाइब्रेरी की स्थापना ।
- क्रीडागन का चौडीकरण एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण ।

### कुल छात्र संख्या (वर्ष 2022-23)

नियमित	स्ववित्त पोषित	शोध	योग
1348	110	09	1467

### 1. छात्र संख्या का विवरण संकायवार (वर्ष 2022-23)

संकाय छात्र संख्या	कला	विज्ञान		वाणिज्य	शिक्षा (बी०एड०)	अन्य/शोध	योग
	985	363		—	110	09	1467

### छात्र संख्या का विवरण स्तरवार (वर्ष 2022-23)

छात्र	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर	शोध	योग



संख्या	छात्र	छात्रायें	छात्र	छात्रायें	छात्र	छात्रायें	
	320	749	36	243	05	04	1357

2. महाविद्यालय का विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2015-16 से 2019-20) का औसत वार्षिक उत्तीर्ण प्रतिशत

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2022-23	औसत
स्नातक स्तर	64%	81%	84.15%	96%	92%	83.43%
स्नातकोत्तर स्तर	83%	73.48%	100%	91%	97%	89%

3. वार्षिक औसत शुल्क दरें-

	स्तर	शुल्क राशि
नियमित पाठ्यक्रम	स्नातक स्तर	पुनः प्रवेश 03, प्रयो0 240, विकास 20, महंगाई 240, पुस्तकालय 03, क्रीड़ा 400, वाचनालय 30, परिषद 48, वार्षिकोत्सव 35, पत्रिका 50, परिचय पत्र 15, निर्धन छात्र सहायता 10, छात्रसंघ 35, काशन मनी 100, पर्यावरण 150, प्रायोगिक शुल्क 35/- प्रति विषय, परीक्षा शुल्क 350, नामांकन 50, विद्युत 60, अन्य 204
	स्नातकोत्तर स्तर	पुनः प्रवेश 03, प्रयो0 360, विकास 20, महंगाई 240, पुस्तकालय 10, क्रीड़ा 400 वाचनालय 30, परिषद 48, वार्षिकोत्सव 35, पत्रिका 50, परिचय पत्र 15, निर्धन छात्र सहायता 10, छात्रसंघ 35, प्रायोगिक शुल्क 100/- परीक्षा शुल्क 400, विद्युत 60, अन्य 204
नियमित पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क राशि
	स्नातक स्तर	

	स्नातकोत्तर स्तर	
स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम का नाम	
	1. बी0एड0	35000.00 शुल्क, 1000.00 काशनमनी
	2. उत्कर्ष प्रोजैक्ट	350 /- प्रतिमाह तथा प्रवेश शुल्क रू0 600 /-
दूरस्थ शिक्षा	स्नातक / स्नातकोत्तर	सीधे उत्तराखण्ड मुक्त वि0वि0 द्वारा बैंक चालान के माध्यम से लिया जाता है

4. उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त अनुदान (वर्ष 2022-23)

प्राप्त अनुदान	व्यय की धनराशि
4854000 /-	48306189 /-

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अन्य एजेन्सियों / स्रोतों से प्राप्त अनुदान (वर्ष 2022-23)

प्राप्त अनुदान	व्यय की धनराशि
सूचना शून्य	

6. पदों का विवरण (31-3-2021)

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत		रिक्त
		नियमित	आउटसोर्स	
1. प्राचार्य	01	01		0
2. प्रवक्ता	32	22		10
3. प्रवक्ता गेस्ट - 04				
4. कामचलाऊ व्यवस्था -06				
5. पुस्तकालयाध्यक्ष	01	-	-	01

6. अन्य कर्मचारी (ग एवं घ)	33	16	02 उपनल	15
योग –	67	36	02	29

7. विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी सूचना –

संयोजन की स्थिति	आपूर्ति की स्थिति	संयोजन/आपूर्ति न होने के कारण
महावि0 में उपलब्ध है	नियमित आपूर्ति है	–

**महाविद्यालय की उत्कृष्टतम् तीन उपलब्धियों (2022–23)**

1. महाविद्यालय मुख्य मंत्री नवाचार योजना के अन्तर्गत चाय बागान का निर्माण एवं पौधों का रोपण।
2. चाय बागान में 2500 पौधों को रोपित किया।
3. वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा बॉटनिकल गार्डन का निर्माण किया गया।
4. आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया।



	स्नातकोत्तर का योग	22	204	226	14	39	53	0	0	0	36	243	279	8	21	29	1	0	1	2	15	17	0	0	0	
	बी०एड० प्रथम से०	3	30	33	6	16	22	0	0	0	9	46	55	0	11	11	1	0	1	3	4	7	0	0	0	
3	बी०एड० चतुर्थ से०	7	26	33	9	13	22	0	0	0	14	41	55	5	8	13	0	1	1	5	2	7		0	0	
4	शोध	3	1	4	1	3	4	0	0	0	4	4	8	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल योग</b>	<b>248</b>	<b>807</b>	<b>1055</b>	<b>137</b>	<b>274</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>1083</b>	<b>1466</b>	<b>128</b>	<b>307</b>	<b>435</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>134</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## तालिका – 15

महाविद्यालय का नाम : राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग

विषयवार छात्रा/छात्रा संख्या (दिनांक 31-03-2023)

क्र० सं०	विषय	स्नातक स्तर				स्नातकोत्तर स्तर			महायोग
		प्रथम सेमे०	तृतीय सेमे०	पंचम सेमेस्टर	योग	प्रथम सेमे०	तृतीय सेमे०	योग	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	DRAWING & COLOR STUDIES	310	0	0	310	0	0	0	310
2	हिन्दी साहि०	174	111	104	389	21	29	50	439
3	अंग्रेजी	120	81	66	267	0	0	0	267
4	इतिहास	139	127	90	356	33	27	60	416
5	भूगोल	55	59	23	137	0	0	0	137
6	संस्कृत	76	85	38	199	0	0	0	199
7	रा०शा०	120	86	98	304	23	27	50	354
8	समाजशास्त्र	99	81	60	240	6	17	23	263
9	अर्थशास्त्र	95	47	45	187	11	29	40	227
10	संगीत	9	5	4	18	0	0	0	18
11	पर्यावरण	0	360	0	360	0	0	0	360
12	जन्तु विज्ञान	75	65	55	195	4	8	12	207
13	भौतिकी	31	35	46	112	7	9	16	128
14	रसायन	106	100	101	307	3	5	8	315
15	वनस्पति	75	65	55	195	6	10	16	211
16	गणित	32	42	48	122	0	0	0	122

## मैनुअल 2

### अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य ।

1. प्राचार्य की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:— महाविद्यालय से सम्बन्धित दो प्रकार के दायित्वों का निर्वहन प्राचार्य द्वारा किया जाता है ।

(क) वित्तीय शक्तियाँ एवं कर्तव्य :- प्राचार्य महाविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न व्ययों के आहरण एवं भुगतान सम्बन्धी दायित्वों का निर्वहन करता है। वह वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड 2, भाग 2 से 4, खण्ड 3 तथा खण्ड 5 भाग 1 के साथ-साथ सिविल सर्विस रेगुलेशन्स, बजट मैनुअल, उ0 प्र0 भविष्यनिधि नियमावली 1985, उत्तर प्रदेश मुद्रण एवं लेखन नियमावली और उत्तराखण्ड प्राक्टोरियल नियमावली 2009 आदि उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत राजाज्ञाओं का पालन करते हुए अपने वित्त सम्बन्धी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करता है ।

(ख) सामान्य शक्तियाँ एवं कर्तव्य :- वित्तीय दायित्वों के साथ-साथ प्राचार्य निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करते हैं—

(i) महाविद्यालय की सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था, अनुशासन एवं कार्य संचालन ।

(ii) छात्र प्रवेश, शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर क्रिया-कलाप और परीक्षाओं का संचालन ।

(iii) वर्ग ग तथा घ के रिक्त पदों पर निदेशालय के निर्देशानुसार नियुक्तियाँ ।

(iv) शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन एवं आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही ।

(v) महाविद्यालय के विकास के लिए विविध प्रस्ताव तैयार करके उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना ।

2. शिक्षकों के दायित्व :-

i) महाविद्यालय की समय सारिणी के अनुसार विभिन्न कक्षाओं हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं का छात्र-छात्राओं को ज्ञान कराने हेतु अध्यापन करना ।

ii) छात्र-छात्राओं की उस विषय से सम्बन्धित जिज्ञासाओं का समाधान करना ।

iii) महाविद्यालय के विभिन्न शिक्षणोत्तर क्रिया-कलापों में सहयोग करना ।

3. कर्मचारियों के दायित्व:-

i) सम्बन्धित पद के लिए निर्धारित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना ।

ii) महाविद्यालय के शिक्षणोत्तर क्रियाकलापों में सहयोग करना ।

iii) महाविद्यालय के हित में उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये समस्त दायित्वों का निर्वहन करना ।

## मैनुअल 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

1. कार्यविधि :- विनिश्चय करने की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रकरण को सर्वप्रथम महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय समुचित टिप्पणी के साथ सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापक को अथवा सीधे प्राचार्य को उक्त प्रकरण उपलब्ध कराता है। प्रभारी सम्बन्धित अभिलेखों से उस विवेच्य प्रकरण का सत्यापन करके अपनी संस्तुति देता है। प्रभारी की संस्तुति के आधार पर महाविद्यालय के प्राचार्य उक्त प्रकरण पर विचार करते हैं तथा अपना निर्णय देते हैं।
2. प्रवेश प्रक्रिया :-
  - i) महाविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार किये जाते हैं।
  - ii) प्रवेश तिथियाँ विश्वविद्यालय निर्धारित करता है विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्रवेश नहीं दिये जाते हैं।
  - iii) प्रवेश सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया से प्रवेशार्थी छात्र-छात्राओं को परिचित कराने के लिए प्रवेश फार्म के साथ एक विवरणिका भी उन्हें उपलब्ध करायी जाती है।
  - iv) प्रत्येक प्रवेशार्थी एवं उसके अभिभावक को प्रवेश फार्म में अंकित शपथ पत्र पर स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश समिति के सम्मुख हस्ताक्षर करने होते हैं।
  - v) आवेदन पत्र के साथ अलग-अलग कक्षाओं में प्रवेश के लिए संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों का उल्लेख महाविद्यालय के सूचना पट्ट में अंकित रहता है। इन प्रमाण पत्रों को प्रवेशार्थी द्वारा स्वप्रमाणित फोटो प्रति के साथ प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। प्रवेश समिति फोटो प्रतियों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करने के बाद मूल प्रमाण पत्र उसी समय प्रवेशार्थी को वापिस कर देती है।
  - vi) प्रवेश फार्म में प्रवेशार्थी के आपराधिक गतिविधि में लिप्त न होने सम्बन्धी जानकारी भी मांगी जाती है। टी0सी0 एवं चरित्र प्रमाण पत्र से भी इन तथ्यों की छानबीन की जाती है। नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है।



- vii) यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है किन्तु धोखाधड़ी से प्रवेश पा जाता है तो उसका प्रवेश उक्त स्थिति पता चलने पर निरस्त कर दिया जाता है।
- viii) परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के दोषी प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है।
- ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 1114/कार्मिक 2-2001-53(1) 2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 के अनुसार निम्नवत् अनुमन्य होता है-
1. अनुसूचित जाति 19:;
  2. अनुसूचित जनजाति 4:
  3. अन्य पिछड़ा वर्ग 14: (नानक्रीमीलियर)
- x) सभी वर्गों में क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होता है।
1. महिलाएँ 20:;
  2. भूतपूर्व सैनिक 2:
  3. विकलांग 3:
  4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2:
- xi) कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार छूट अनुमन्य होती है।
- xii) प्रवेशार्थियों को जहाँ मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है वहाँ वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित विवरणानुसार अंकों का लाभ दिया जाता है।
- |   |        |
|---|--------|
| (क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' अथवा जी पार्ट-1, जी-2 प्रमाण पत्र-  | 25 अंक |
| (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर<br>(कम से कम दस दिवसीय) में भाग लेने पर।  | 20 अंक |
| (ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त<br>कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी/सगाभाई/बहन।  | 20 अंक |
| (घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्धसैनिकों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी<br>/सगाभाई/बहन तथा जम्मू कश्मीर से विस्थापित या उनके<br>पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन।                           | 20 अंक |
| (ङ) विश्वविद्यालय की प्रथम इलेवन टीम में प्रवेश लेने<br>वाले विद्यार्थी   | 20 अंक |
| (च) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय रोवर्स<br>रेन्जर रैली में भाग लिया हो या दस दिवसीय कैम्प<br>किया हो। प्रमाण पत्र शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा के<br>द्वारा प्रदत्त हो। | 20 अंक |
| (छ) शासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग<br>लेने वाले खिलाड़ी जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक  |        |

- द्वारा इस निमित्त प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। 25 अंक
- (ज) राज्य स्तर पर कोई पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी  
(अन्तर विश्वविद्यालयी टीम से संयुक्त विश्वविद्यालय  
प्रतियोगिता खेलने पर)। 25 अंक

अथवा

किसी विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय टीम का सदस्य होकर अन्तर विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या इसी स्तर की उच्च टीमों का सदस्य रहा हो या उच्च स्तर की वाद-विवाद प्रतियोगिता/सांस्कृतिक कार्यक्रम/प्रदर्शनी में भाग लिया हो।

अथवा

- छ) अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर 50 अंक

नोट:- उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा।

कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारण हेतु इन्हें नहीं जोड़ा जायेगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

- 1-17 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर स्थान उपलब्ध होने तथा विद्यार्थी के अर्ह होने की दशा में विषय/संकाय परिवर्तन प्रवेश की अंतिम तिथि के 15 दिन के अन्तर्गत किया जा सकता है। तथा इस अवधि के उपरान्त किसी भी दशा में विषय/संकाय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

- 1-18 प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश तिथि से स्नातक स्तर पर पांच वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तीन वर्ष कुल आठ वर्ष का अध्ययन काल (विधि/शिक्षा को छोड़कर) अनुमन्य होगा। उक्त निर्धारित शैक्षिक अवधि के उपरान्त लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा तथा उस कक्षा/विषय की उपाधि निरस्त कर दी जायेगी। एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

- 1-19 कुमाऊं विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिषदों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर निर्धारित अवधि के भीतर स्थानान्तरण पत्र (टी0सी0) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश चाहने वाले बाहरी अभ्यर्थियों को प्रवर्जन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

- 1-20 प्रत्येक संकाय/विभाग में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में निर्धारित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- 1-21 एक सत्र में स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उत्तराखण्ड शासन द्वारा विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कार्यक्रमों को छोड़कर) अथवा शोध में से किसी एक ही पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य होगा। एक से अधिक पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
- 1-22 प्रत्येक छात्र हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 5 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्रधानाचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है। आनुपातिक रूप से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को 31 दिसम्बर तक सचेत कर दिया जायेगा तथा कम उपस्थिति होने पर सम्बन्धित छात्र को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

## साधारण नियम 1-3 में वर्णित शपथ पत्रों का प्रारूप

- (क) विद्यार्थी द्वारा शपथ पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूँगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूँगा/लूँगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य होगा/होगी।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पाई गई तो विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कोई भी दण्ड मुझे मान्य होगा।
3. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. यदि मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

(ख) पिता अथवा अभिभावक की घोषणा—

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती..... जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी। विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर पिता/अभिभावक

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम

(शिक्षा सत्र 2022-2023)

कला एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता सूची निर्धारण के नियम।

2-1 स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किये जायेंगे।

2-1(क) कला एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश निम्नवत् होंगे :-

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.9 प्रतिशत)

(2) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी तथा वोकेशनल कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों को निम्नतर वरीयता दी जायेगी।

नोट :-

1. अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

2. योग्यता निर्धारण करते समय कुमाऊँ क्षेत्र के किसी विद्यालय से अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम अर्हता रखने वाले छात्रों को दस प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा तथा शेष उत्तराखण्ड के क्षेत्र के विद्यालयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम अर्हता रखने वाले छात्रों को पांच प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा।

2.1(ख) यदि किसी विद्यार्थी का अर्ह परीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित विषय में अवरोध आया हो तथा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अनुत्तीर्ण न हुआ हो, तो प्रत्येक अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से पांच प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता क्रम से प्रवेश दिया जा सकता है।

2-3 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहिन से वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जायेगा, यदि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो। यह सुविधा तभी दी जा सकेगी जबकि पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से मिलता हो और महाविद्यालय में वार्ड द्वारा लिये गये सभी विषय पढ़ाये जा रहे हों।

2-4 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो तथा ऐसे अभ्यर्थी के स्नातक प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में संकाय हेतु प्रथम प्रवेश की न्यूनतम अर्हता होने पर कक्षा में स्थान रिक्त होने की दशा में द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है। स्थान की संख्या प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए भी लागू होगी।

2-5 जिन महाविद्यालयों की कुल छात्र संख्या 600 से कम है यथा—राजकीय महाविद्यालय मुन्स्यारी, बलुवाकोट, स्यालदे, मनिला, गंगोलीहाट, चौखुटिया, जैती, गन्ना कृषक कन्या महाविद्यालय, किच्छा,

चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय काशीपुर, वीएसवी कन्या महाविद्यालय जसपुर, सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय रुद्रपुर तथा गुरुनानक कन्या महाविद्यालय नानकमत्ता आदि में सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य उपलब्ध सुविधाओं एवं रिक्त स्थानों को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम अर्हता में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। इस सुविधा के अन्तर्गत प्रविष्ट छात्रों का किसी अन्य महाविद्यालयों/परिसरों में प्रवेश स्थानान्तरण नहीं होगा।

- 2-6 शिक्षणोत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर कुलपति अपने विवेक से प्रवेश दे सकते हैं।
- 2-7 ऐसे छात्र जिन्होंने द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना- 1998 के अन्तर्गत बिना अर्हता पाठ्यक्रम किए स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- 2-8 स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कला एवं वाणिज्य संकाय में अर्हता पाठ्यक्रम/ उपाधि में 40 प्रतिशत एवं विज्ञान संकाय में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 2-9 परीक्षाफल सुधार हेतु अर्ह होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नियमों के अन्तर्गत तथा निर्धारित तिथि के भीतर स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पर द्वितीय वर्ष में अनन्तिम (Provisional) प्रवेश लिखित घोषणा-पत्र (Undertaking) के आधार पर दिया जा सकेगा। किसी नये पाठ्यक्रम/कोर्स/उपाधि में अनन्तिम (Provisional) प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- नोट- 1: प्रदेश के अभ्यर्थियों को Merit Index में 5 प्रतिशत अंक अर्थात् 150 अंक का लाभ दिया जायेगा।
- नोट- 2: प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को डमटपज में आने पर अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा। किन्तु स्थान रिक्त होने की दशा में इस सीमा को शिथिल किया जा सकता है।
- नोट- 3: छात्रों के प्रवेश हेतु परिसर/महाविद्यालय द्वारा बनाये गये मैरिट चार्ट को विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कुल सचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

#### मैनुअल 4

#### महाविद्यालय खुलने बन्द होने का समय

महाविद्यालय सभी कार्य दिवसों में 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक खुला रहता है। रविवार, राजपत्रित एवं अभिसूचित अवकाशों के अतिरिक्त महाविद्यालय का कार्यालय खुला रहता है। विशेष स्थितियों में कार्यों के निपटान के लिए अतिरिक्त समय में भी स्टाफ को उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाते हैं।

- i) प्राध्यापक एवं कर्मचारियों की उपस्थिति :-

प्राध्यापकों द्वारा छात्र-शिक्षण हेतु समय सारिणी 10 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक आठ वादनों में विभक्त है। प्रत्येक प्राध्यापक को अपने विषय से सम्बन्धित वादन में शिक्षण हेतु उपस्थित रहना अनिवार्य है। साथ ही यू0जी0सी0 मानकों के अनुसार प्रत्येक प्राध्यापक न्यूनतम पाँच घंटे महाविद्यालय परिसर में उपस्थित रहता है। कर्मचारी वर्ग 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक कार्यालय में उपलब्ध रहता है। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार अधिक समय उपस्थित रहने के निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

- ii) महाविद्यालय में समस्त क्रिया-कलापों का संचालन उत्तर प्रदेश मूल नियम वित्तीय हस्तपुस्तिका, मूल सेवा नियमावली एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में दिये गये नियमों के अनुरूप किया जाता है।

## मैनुअल-5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख।

1. शुल्क सम्बन्धी नियम- उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुरूप संस्थागत छात्र-छात्राओं से निर्धारित शुल्क लिया जाता है। शुल्क का कुछ भाग कोषागार में जमा होता है तथा कुछ अंश छात्र खातों में जमा होता है। यह शुल्क विवरण निम्नवत् है-

### महाविद्यालय का शुल्क विवरण

#### कोषागार के शुल्क :-

1.	शिक्षण शुल्क ( राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क से मुक्ति)		
2.	प्रवेश शुल्क	रु0	3.00
3.	प्रयोगशाला शुल्क स्नातक	रु0	240.00
4.	विकास शुल्क	रु0	20.00
5.	महंगाई शुल्क	रु0	240.00
6.	पुस्तकालय शुल्क	रु0	3.00
7.	प्रयोगशाला स्नातकोत्तर	रु0	360.00
8.	पुस्तकालय स्नातकोत्तर	रु0	10.00

9	शिक्षण शुल्क स्नातकोत्तर छात्र खातों में शुल्क :-	रु0	180.00
1.	क्रीड़ा शुल्क	रु0	300.00
2.	वाचनालय शुल्क	रु0	30.00
3.	परिषद् शुल्क	रु0	50.00
4.	वार्षिकोत्सव	रु0	45.00
5.	पत्रिका शुल्क	रु0	50.00
6.	परिचय पत्र शुल्क	रु0	25.00
7.	निर्धन छात्र शुल्क	रु0	10.00
8.	छात्र संघ शुल्क	रु0	45.00
9	विधुत शुल्क	रु0	60.00
10.	विविध शुल्क	रु0	100.00
11.	पर्यावरण शुल्क	रु0	105.00
12.	प्रवेश फार्म शुल्क	रु0	20.00
13	प्रायोगिक शुल्क स्नातक	रु0	35.00 प्रति विषय
14	प्रायोगिक स्नातकोत्तर	रु0	100/-
15	प्रागण शुल्क	रु0	20/-
16	प्रयोगात्मक शुल्क	रु0	60/-
17	कम्प्यूटर शुल्क	रु0	70/-
18	प्रसाधन शुल्क	रु0	50/-
19	महाविद्यालय शुल्क	रु0	20/-
20	पार्किंग शुल्क	रु0	30/-

2. परिचय पत्र सम्बन्धी नियम-

- परिचय पत्र (आईडैन्टिटी कार्ड) विद्यार्थी को शुल्क जमा करने के बाद एक निर्धारित तिथि तक ही निर्गत किये जाते हैं।
- इस अवधि में परिचय पत्र प्राप्त करना विद्यार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र तथा प्रवेश शुल्क सुरक्षित रखना नितान्त आवश्यक है। महाविद्यालय परिसर में बिना परिचय पत्र के प्रवेश वर्जित है।
- सामान्यतः परिचय पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत नहीं की जाती है। विशेष परिस्थितियों में परिचय पत्र खो जाने की दशा में मुख्य शास्ता के सम्मुख विद्यार्थी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही पुलिस चौकी में परिचय पत्र खो जाने पर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। जांच के उपरान्त मुख्य शास्ता की अनुमति से रु0 25 शुल्क



जमा करने पर परिचय पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत की जा सकेगी। धोखाधड़ी की दशा में विद्यार्थी पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3. सुरक्षित धन वापसी :

सुरक्षित धन (काशनमनी) उन्हीं विद्यार्थियों को वापस की जाती है जिन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया हो और टी0सी0 प्राप्त कर ली हो। इस हेतु विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा तथा अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

## मैनुअल-6

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण-

1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत सहायकों के अधिरक्षण में निम्नलिखित दस्तावेज सुरक्षित हैं। इस समय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ /वैयक्तिक सहायक के द्वारा निम्न कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है ।

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| (क) बजट एवं वेतन मद     | (घ) पत्र व्यवहार फाइलें       |
| (ख) सामान्य भविष्य निधि | (ङ.) परीक्षा आवेदन            |
| (ग) सर्विस बुक          | (च) विकास सम्बन्धी गतिविधियाँ |

- 
- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| (क) क्रीड़ा निधि          | (छ) परिचय पत्र प्रकोष्ठ |
| (ख) पत्रिका निधि          | (ज) निर्धन छात्र निधि   |
| (ग) परीक्षा शुल्क         | (झ) परिषद समारोह निधि   |
| (घ) नामांकन शुल्क         | (ट) विद्युत निधि        |
| (ङ.) छात्रवृत्ति          | (ठ) वाचनालय             |
| (च) प्रवेश आवेदन प्रकोष्ठ | (ड) शुल्क वापसी         |

(त) सूचना अधिकार

3. निम्नलिखित शिक्षणोत्तर क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रभारी अधोलिखित अधिकारी हैं-

- |   |
|---|
| (क) मुख्य शास्ता एवं छात्र परिषद- डा0 एम0एस0कुटियाल विभागाध्यक्ष इतिहास                       |
| (ख) महिला उत्पीडन सैल - डा0 पार्वती ,डा0 धीरज खाती , डा0 बीना चन्याल ,डा0 दीपा पंत            |
| (ग) एन्टी रैकिंग हेतु गठित समिति- डा0 प्रकाश चन्द्र मठपाल ,डा0 पार्वती एवं श्रीमती मानकी देवी |

## मैनुअल-7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं—

1. महाविद्यालय से सम्बन्धित कार्य योजनाओं में जनता के सदस्यों से परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संघ गठित किये जाते हैं—

(क) शिक्षक-अभिभावक संघ :- संस्था एवं स्थानीय समाज के पारस्परिक सम्बन्धों में वृद्धि तथा स्थानीय समाज के सहयोग से संस्था की समस्याओं के निराकरण के लिए महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक परिषद् का गठन किया जाता है। प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित इस संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है। महाविद्यालय का नामित शिक्षक इस परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक अभिभावक परिषद् के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं—

1. शिक्षण संस्था के स्टॉफ एवं अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
2. संस्था की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
3. संस्था के संसाधनों को बढ़ाने में जनसहयोग प्राप्त करना।
4. अभिभावकों को संस्था के विकास एवं नवीनतम प्रवृत्तियों की जानकारी प्रदान करना।

(ख) भूतपूर्व छात्र परिषद्— महाविद्यालय के कुछ विशिष्ट कार्य करने वाले भूतपूर्व छात्र-छात्राओं के अनुभवों से संस्था को लाभान्वित करने के लिए भूतपूर्व छात्र परिषद् का गठन किया जाता है। भूतपूर्व छात्र परिषद् के निम्नलिखित कार्य हैं—

1. गणमान्य पूर्व छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय के विशिष्ट अवसरों पर आमन्त्रित करके उनसे संवाद स्थापित करना।
2. संस्था के विकास के लिए उनकी सहभागिता प्राप्त करना।
3. पूर्व छात्रों के अनुभवों से संस्था को लाभान्वित करना।

## मैनुअल-8

महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु गठित समितियों का विवरण। क्या इन समितियों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी?

1. महाविद्यालय में विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाता है।

- |                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| (क) प्रवेश समिति               | (ख) क्रीड़ा समिति  | (ग) परीक्षा समिति |
| (घ) पुस्तकालय समिति            | (ड.) अनुशासन समिति | (च) समारोह समिति  |
| (छ) सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति | (ज) नैक समिति      |                   |

इन समितियों की बैठकों में नामित जन-प्रतिनिधियों अथवा विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है तथा उनके अनुभवों से संस्था को लाभान्वित किया जाता है।

## मैनुअल-9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची इस प्रकार है-

क्रम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	डा० सी०डी०सूँठा	प्राचार्य
2.	डा० प्रकाश चन्द्र मठपाल	असि० प्रो० गणित
3.	डा० पार्वती	असि० प्रो० हिन्दी
4.	डा० जे०एन०पंत	असि० प्रो० वनस्पति
5.	डा० एम०एस० कुटियाल	असि० प्रो० इतिहास
6.	डा० दीपा पंत	असि० प्रो० हिन्दी
7.	डा० धीरज खाती	असि० प्रो० राजनीतिशास्त्र
8.	डा० लीलाधर मिश्रा	असि० प्रो० अंग्रेजी
9.	डा० बीना लोहिया	असि० प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान
10.	डा० अश्वनी कुमार	असि० प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान
11.	डॉ० पवन टम्टा	असि० प्रोफेसर गणित
12.	डॉ० बालम सिंह बिष्ट	असि० प्रोफेसर रसायन विज्ञान
13.	डा० मीनाक्षी गोस्वामी	असि० प्रो० भूगोल
14.	श्रीमती विनीता	असि० प्रो० भूगोल
15.	डा० अंजली देवी	असि० प्रो० संगीत
16.	डा० गरिमा पुनेठा	असि० प्रो० भौतिकी
17.	डा० ललित सिंह	असि० प्रो० भौतिकी
18.	डा० अंकिता जोशी	असि० प्रो० रसायन

19. श्री ललित चन्द	असि० प्रो० इतिहास
20. श्री ओम प्रकाश	असि० प्रो० संस्कृत
21. श्री प्रदीप कुमार	असि० प्रो० रसायन
22. श्री अरूण कुमार यादव	गेस्ट फैकल्टी समाजशास्त्र
23. डा० कंचन भण्डारी	गेस्ट फैकल्टी जन्तु विज्ञान
24. श्री अरूण कुमार सिंह	गेस्ट फैकल्टी समाजशास्त्र
25. सुश्री पूनम	गेस्ट फैकल्टी अर्थशास्त्र
26. डा० प्रतिभा नेगी	कामचलाऊ प्रोफेसर अर्थशास्त्र
27. डा० किशोर कुमार	कामचलाऊ प्रोफेसर समाजशास्त्र
28. डा० वन्दिता काण्डपाल	कामचलाऊ प्रोफेसर जन्तु
29. डॉ० अमन वर्मा	कामचलाऊ प्रोफेसर जन्तु विज्ञान
30. श्री नवीन चन्द्र पन्त	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
31. श्री शिव कुमार	इलेक्ट्रीशियन
32. कु० अर्चना	वैयक्तिक सहायक
33. श्रीमती संगीता देवी	वरिष्ठ सहायक
34. श्री प्रकाश चन्द्र पपनै	प्रयोगशाला सहायक
35. श्री हरीश चन्द्र जोशी	तबलावादक
36. श्री कौशल उप्रेती	प्रयोगशाला सहायक
37. कु० कल्पना जोशी	प्रयोगशाला सहायक
38. श्रीमती पूजा भट्ट	प्रयोगशाला सहायक
39. श्रीमती लता सनवाल	प्रयोगशाला सहायक
40. श्री विपिन पाठक	प्रयोगशाला सहायक
41. श्रीमती मानकी देवी	कार्यालय अनुसेवक
42. श्री भूपेश चन्द्र पंत	प्रयोगशाला अनुसेवक
43. श्री गिरीश चन्द्र पंत	प्रयोगशाला अनुसेवक
44. श्री पुनीत जोशी	प्रयोगशाला अनुसेवक
45. श्री विवेक कुमार	प्रयोगशाला अनुसेवक
46. श्री सुरेन्द्र कुमार	स्वच्छक कम चौकीदार
47. श्री कुण्डल सिंह	आउट सोर्स गन मैन
48. श्रीमती तनुजा	आउट सोर्स चतुर्थ श्रेणी

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

1. महाविद्यालय में कार्यरत समूह क , ग एवं घ के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमान इस प्रकार हैं—

समूह का नाम	पद का नाम	वेतनमान
समूह क	प्राचार्य	144200—218200
एसोप्रो(1)	131400—217200	
	असिस्टेंट प्रोफेसर (21)	57700—182800
समूह ग	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600—151100
	वरिष्ठ सहायक	29200—92300
	कनिष्ठ सहायक	21700—69100
	वैयक्तिक सहायक	29200—92300
	प्रयोगशाला सहायक (5)	25500—81100
	तबलावादक	29200—92300
	बुकबाइण्डर	5500—81100
	प्रयोगशाला परिचर	25500—81100
	प्रयोगशाला परिचर	29200—92300
	प्रयोगशाला परिचर (03)	19900—63200
	स्वच्छक कम चौकीदार	19900—63200
	कार्यालय परिचर	19900—63200
	उपनल गनमैन	21687 नियत
	उपनल परिचारक	18394 नियत

वेतन निर्धारण की पद्धति — नियमानुसार निर्धारित मूल वेतन में निम्नांकित को जोड़कर सकल उपलब्धियों का निर्धारण किया जाता है—

1. मूल वेतन

2. महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत
3. मकान किराया भत्ता (वेतन स्लैब के अनुसार)
4. पर्वतीय विकास भत्ता (वेतन स्लैब के अनुसार)

नोट : इन वेतन भत्तों में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है।

महाविद्यालय में निम्न पद हैं-

समूह का नाम	पदों की संख्या
क	32
ख	—
ग	15
घ	19

#### मैनुअल-11

सभी योजनाओं में प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

प्रत्येक सत्र में आवश्यकताओं और उपलब्धता के आधार पर बजट का आवंटन अलग-अलग मात्रा में होता है। सत्र 2021-22 में विभिन्न अभिकरणों हेतु आवंटित बजट का विवरण इस प्रकार है-

क्र०	मानक मद संख्या	वर्ष 2022-23 में
सं०	एवं नाम	मदवार प्राप्त अनुदान
1.	04 यात्रा भत्ता	26000.00
2.	08 पारिश्रमिक	4555000.00
3.	09 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	—
4.	20 लेखन सामग्री	24000.00
5.22	कार्यालय व्यय	23000.00

6.	43 औषधि रसायन	29000.00
7.	51 अनुरक्षण	35000.00
8.	52 लघुनिर्माण	—
9.	42 अन्य विभागीय व्यय	150000.00

### आय— राजकोष में जमा धनराशि

क0 स0	शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई	प्रवेश शुल्क एवं टी.सी.	विकास शुल्क	पुस्तकालय शुल्क	सूचना अधि0 / पंखा	खोई पुस्तकों से प्राप्ति	नीलामी / अन्य स्त्रों से आय	प्रयोगशाला शुल्क / अन्य आय	योग (कालम 2 से 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	373920.00	4294.00	26960.00	6004.00		0	0.00	12696000	538138.00

### राजकोष से आहरित धनराशि वर्ष 2022–23

क0 स0	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	अन्य भत्ते	वेतन पर कुल व्यय योग 2 से 5	यात्रा भत्ता / स्थाना 0	पुस्तकालय / अन्य व्यय / ई— ग्रन्थालय	प्रयोग शाला अनुर क्षण / औषधि रसाय न	अनुम न्यता	टेलीफ ोन / फि वद्युत / जल कर	08 पारिश्रमिक	कार्या लय व्यय / लेखन सामग्री	मुख्य मुत्री नवाचार योजना	अनुरक्ष ण / म शीन साज— सज्जा एवं कार्या0 फर्नी0 आदि	अनावर्तक / आवर्तक योग 7 से 16	कुल व्यय 6 से 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आयो जनेत् तर	30316247	1090313 2	2254000	43473379	25997	111259	2889 1	120 00	26566	4546862	46850	—	34385	4832810	48306 189

### मैनुअल—12

सहायिकी कार्यक्रमों की निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं।

सहायिकी कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के विभिन्न छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति का विवरण	लाभान्वित छात्र/छात्रा संख्या	प्राप्त धनराशि रु०	छात्रों में वितरण धनराशि रु०	अवशेष धनराशि रु० जो वापसकी गयी
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी छात्रवृत्ति 2022-23	134	धनराशि समाज कल्याण विभाग द्वारा खातों में खातान्तरित की जाती है।	—	—

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को यू०पी०/उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास निधि लखनऊ/देहरादून के कार्यालय से छात्रवृत्ति स्वीकृत होती हैं। आवेदन पत्र स्थानीय सैनिक कार्यालय से प्राप्त किये जाते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र पिता का हो एवं छः मास से अधिक पुराना न हो।

#### मैनुअल-13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ

महाविद्यालय में शुल्क मुक्ति आदि प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ इस प्रकार हैं-

4. सभी छात्र एवं छात्राओं को शिक्षण शुल्क मुक्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी छात्र-छात्राओं को भी शिक्षण शुल्क मुक्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।



## मैनुअल-14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।

1. महाविद्यालय के द्वारा प्रतिवर्ष स्टाफ स्टेटमेंट तैयार करके इलैक्ट्रानिक मीडिया में संगृहीत किया जाता है तथा उसकी सी0 डी0 और प्रकाशित प्रति शिक्षा निदेशालय एवं उचित माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जाती है।
2. आवश्यक सामग्री के त्वरित प्रेषण हेतु फैंक्स एवं ई-मेल का प्रयोग किया जाता है।

## मैनुअल-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

1. सूचनाएँ किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय कक्ष से 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक प्राप्त की जा सकती हैं।
2. कार्यालय के साथ ही सामान्य सूचनाएँ वाचनालय, पुस्तकालय, सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी आदि से भी प्राप्त की जा सकती है।

## मैनुअल-16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ-

1. महाविद्यालय स्तर पर-  
(क) लोक सूचना अधिकारी - डा0 सी0डी0सूँटा

फोन : 05964- 244641

(ख) सहायक लोक सूचना अधिकारी - डाँ0 धीरज सिंह खाती, असिस्टेन्ट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान

फोन 9411793081

2. निदेशालय स्तर पर- अपीलीय अधिकारी- डा0 संदीप शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा  
उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) फोन नं0: 05946-225785, 281674

## मैनुअल-17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय।

महाविद्यालय में सूचना सम्बन्धी मैनुअल सुरक्षित हैं, तथा लोक सूचना अधिनियम 2005 से सम्बन्धित कोई भी जानकारी महाविद्यालय कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

-----0-----